दिनांक–12.03.2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जिला परिषद्) के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है :–
   (1) श्री आनन्द शर्मा, निदेशक
   (2) श्री रघुवंश कुमार सिन्हा, परामर्शी
   (3) श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव
   (4) श्री किशोर कुमार, संयुक्त सचिव
   (5) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (6) श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव
   (7) श्री प्रताप भानु कुमार, आंतरिक वित्तीय सलाहकार
   (8) श्री सुभाष कुमार शर्मा, उप सचिव
   (9) श्री आलोक कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (10) श्री गोपाल शरण, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (11) श्री राजन कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी
   (12) श्री श्रीनिवास, राज्य क्वालिटी मॉनिटर

2. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा :–

(क) पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। लेकिन अद्यतन स्थिति तक राज्य के 32 जिलों में कुल 347 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है। इस पर घोर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी एक सप्ताह के अंदर भूमि चयन कर विभाग को प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्)

(ख) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी 31 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में भी निदेशित किया गया है कि यदि आवश्यक हो तो संबंधित विभागीय स्वीकृत्यादेश

संख्या–03(स्वी०) दिनांक–03.06.2019 के आलोक में निर्धारित मानक प्राक्कलन यथा- ₹1,14,43,136.00 (एक करोड़ चौदह लाख तैतालिस हजार एक सौ छत्तीस रूपये) एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–03(स्वी०) दिनांक–12.05.2021 के आलोक में उत्तर बिहार के लिए निर्धारित मानक प्राक्कलन ₹1,31,36,728.00 (एक करोड़ एकतीस लाख छत्तीस हजार सात सौ अठाईस रूपये) तथा दक्षिण बिहार के लिए निर्धारित मानक प्राक्कलन ₹1,16,97,881.00 (एक करोड़ सोलह लाख सन्तानवे हजार आठ सौ इक्यासी रूपये) का ± 20 % तक बढ़ोतरी की जा सकती है एवं जून, 2025 तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्)

(ग) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया कि कुछ पंचायतों में भूमि विवाद/अनुपयुक्त पाये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस संदर्भ में पूर्व में भी समीक्षा की गयी परंतु आशातीत प्रगति नहीं हो पा रही है। सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् प्रत्येक सप्ताह स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यपालक अभियंता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संवेदकों के साथ बैठक कर भूमि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्)

II. **क्षेत्रिय पदाधिकारियों/कर्मियों/संविदा कर्मियों** के सभी वेतन/मानदेय, यात्रा भत्ता वाहन मद एवं अन्य दावा का भुगतान नियमानुसार अद्यतन करते हुए लंबित मामलों को शून्य किया जाय। सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मियों से संबंधित भुगतान नियमानुसार ससमय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं संबंधित प्रशाखा, पंचायती राज विभाग)

III. सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर तकनीकी सहायक एवं अंकेक्षक का रोस्टर तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

लगातार.....

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा–03 पंचायती राज विभाग)

IV. **लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन निष्पादन की स्थितिः–**

समीक्षा के क्रम पाया गया कि मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, लखीसराय, शेखपुरा, नालन्दा, नवादा, सीतामढ़ी, किशनगंज, अरवल, जमुई, शिवहर, मुंगेर एवं बांका में प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्न् है, जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। इन सभी जिलों को आवेदनो की प्राप्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निदेश दिये गये।

(क) पंचायतो में आवेदनो के प्राप्ति में वृद्धि हेतु आम जनता को उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी जाये। उपलब्ध सेवाओं की सूची कार्यरत पंचायत सरकार भवनों/आर0टी0पी0एस0 कान्उटर के दीवारो पर उकीर्ण किया जाए।

(ख) BPSM को यह अनुरोध किया जाए कि RTPS की जितनी भी सेवाएँ है उसकी समीक्षा करेंगे एवं प्रखंड तथा जिला स्तर पर संचालित RTPS केन्द्र की भांति सभी पंचायतों में संचालित RTPS केन्द्रों पर सभी सेवाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) पंचायतों में लॉग–इन से संबधित समस्या को यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए।

(घ) किसी भी परिस्थिति मे पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति अन्य कार्यालयों में नहीं की जाएगी।

(अनुपालनः–सूचना प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, BPSM एवं अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. **Panchayat PS-BBAS Report** -समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 8053 पंचायतो में 1175 User ID created है, जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। आईटी मैनेजर, पंचायती राज विभाग को निदेश दिया गया कि पंचायतो में BBAS से संबंधित समस्या को अतिशीघ्र निष्पादन किया जाए।

यह भी निदेश दिया गया कि पंचायतो में 01 मई 2025 से सभी प्रकार की सैलरी बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर निर्गत की जायेगी। इस संबंध में सभी जिलो को निदेशित किया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति की समीक्षा प्रतिदिन जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं तद्नुसार कार्रवाई किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग)

लगातार.....

VI. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति।

सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

पंचायती राज विभाग को आवंटित सहायक अनुदान मद की राशि में से 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की बहुत बड़ी राशि जिलें के द्वारा खर्च नहीं किया गया है। जबतक अनुदान मद की राशि खर्च नहीं की जायेगी, तबतक उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया जा सकता है। सभी जिलों को निदेश दिया गया कि जिलों में पड़ी राशि को खर्च करने के लिए योजनाओं की स्वीकृति पर विशेष ध्यान दें, जिससे की राशि खर्च हो सके और खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समायोजित किया जा सके। पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, रोहतास, समस्तीपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, सारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, पटना एवं सिवान जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति देख लें तथा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु कार्रवाई करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. CWJC/MJC वादों से संबंधित समीक्षा।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला जिला सारण में 03, बाँका, नालंदा में 02-02 एवं औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण में 01-01 MJC लंबित है। सभी CWJC/MJC मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने–अपने जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों को पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलंब उपलब्ध कराया जाए एवं विभाग स्तर पर लंबित सभी महत्वपूर्ण पत्रों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

लगातार.....

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा संबंधित प्रशाखा, पंचायती राज विभाग)

IX. जिला परिषद् को दिये गये निदेश–

(क) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्यों, तकनीकी सहायक एवं पंचायत सचिव/अभिकर्त्ता का छोटे–छोटे समूहों में अनुश्रवण कर कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) जिला परिषद् वर्तमान में अवशेष राशि एवं अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले संभावित राशि का आकलन कर योजना का चयन प्रत्येक वर्ष के मार्च में करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार प्रत्येक वर्ष के अप्रैल में प्राथमिकता के आधार पर चयनित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार करेंगे एवं निधि के उपलब्धता के आधार पर प्राशासनिक स्वीकृति देते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) जिला परिषद् अपने सभी भूमि का सत्यापन कर जमाबंदी कायम करना सुनिश्चित करेंगें। अपने सभी भूमि/भवनों इत्यादि की समीक्षा करेंगे एवं यदि अतिक्रमित पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकार के समक्ष Eviction हेतु वाद दायर करेंगे। सक्षम प्राधिकार (जिला पंचायत राज पदाधिकारी) विधिवत् वाद प्रारंभ करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

(घ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने भूमि के स्वरूप एवं भौतिक स्थिति का आकलन करते हुए लीज नीति के आलोक में उसका व्यवसायिक उपयोग करने हेतु नियमतः अग्रेतर कार्रवाई करेंगे, ताकि जिला परिषद् के आंतरिक संसाधन में वृद्धि हो सके। जिस भवन/संसाधन का एकरारनामा पूर्व में किया गया है उसका एकरारनामा के शर्त्तों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। एकरारनामा की अवधि समाप्त होने के उपरान्त पुनः अगले वर्षों हेतु बिहार लीज नीति के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मात्र वैसे मामलें जहाँ लीज पॉलिसी लागू नहीं हो, वहाँ Auction अथवा Highest Revenue Generation Model के लिए कार्रवाई की जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी)

ह०/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव

लगातार.....

ज्ञापांकः–9प०/प्र0–08–802(खंड)/2023/4469/पं०रा० पटना, दिनांक 25/3/2025
प्रतिलिपिः–सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प०/प्र0–08–802(खंड)/2023/4469/पं०रा० पटना, दिनांक 25/3/2025
प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प०/प्र0–08–802(खंड)/2023/4469/पं०रा० पटना, दिनांक 25/3/2025
प्रतिलिपिः–श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव